झारखंड सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

28वीं अगस्त, 2007

अधिसूचना संख्याः-वित्त-7-आयोजन (3)-9/2001(खंड-II)/*2476/वि०*, दिनांक *28.08.2007*

झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (झारखंड अधिनियम-07/ 2007) की धारा-9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधोलिखित नियमावली बनाती है:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभः-

(1) यह नियमावली झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली, 2007 कही जा सकेगी ।

(2) यह नियमावली झारखंड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ-

(1) इस नियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2007;

(ख) ''बजट एक दृष्टि में'' से अभिप्रेत है राज्य के आय एवं व्यय तथा अन्य संबद्ध सूचनाओं से संबंधित समेकित सूचनाएं जो 'बजट एक दृष्टि में' के रुप में विधान मंडल के समक्ष आय-व्ययक के साथ प्रस्तुत किया गया हो;

(ग) ''प्रपत्र'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र;

(घ) ''जी0एस0डी0पी0'' से अभिप्रेत है, वर्त्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद,

(ङ) ''मैनडेटेड रेवन्यू'' से अभिप्रेत है, केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त गैर-योजना राजस्व घाटा अनुदान का कुल योग, एवं

(च) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त ''शब्द'' एवं ''शब्द समूहों'' (Words and expressions) जिसे नियमावली में परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु जो अधिनियम में परिभाषित है, का तात्पर्य वही होगा, जो अधिनियम में विहित होगा ।

3 राजकोषीय संकेतः-

अधिनियम के उद्देश्य हेतु निम्नलिखित राजकोषीय संकेत विहित होंगेः-

(क) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रुप में राजस्व घाटा;

(ख) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रुप में राजकोषीय घाटा;

(ग) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रुप में प्राथमिक घाटा/ बचत;

(घ) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रुप में कुल ऋण ।

4 *मध्यावधि राजकोषीय योजना एवं राजकोषीय नीतिगत प्राथमिकताएं :-*

(क) राजकोषीय क्षेत्र में राज्य सरकार की नीतिगत प्राथमिकताएं प्रपत्र-I में अंकित की जायेगी।

(ख) मध्यावधि राजकोषीय योजना राज्य सरकार द्वारा प्रपत्र-II में तैयार की जायेगी।

5 *वर्त्तमान वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य वित्त के पुनर्गठन हेतु किए गए उपायों की विवरणी:-*

राज्य सरकार, राजकोषीय नीतिगत प्राथमिकताएं प्रस्तुत करते समय उसमें वर्त्तमान वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य वित्त के पुनर्गठन हेतु किए गए उपायों की विस्तृत जानकारी देगी ।

6 *प्रकटीकरण विवरणी* **(Disclosure in a statement)**

राज्य सरकार, वार्षिक आय-व्ययक प्रस्तुत करते समय विहित राजकोषीय संकेतकों के संगणन को प्रभावित करने वाले लेखा मानकों, नीतियों एवं चलनों में विशिष्ट परिवर्त्तन के संबंध में प्रपत्र-III में एक प्रकटीकरण विवरण प्रस्तुत करेगी ।

7 *कर्मियों से संबंधित विशेष विवरण:-*

राज्य सरकार, वार्षिक आय-व्ययक प्रस्तुत करते समय धारा-6 की उप-धारा-10 में निर्दिष्ट कर्मियों की संख्या एवं उनके वेतनादि के संबंध में एक विस्तृत विवरण प्रपत्र-IV में प्रस्तुत करेगी ।

8 *विलम्बित देनदारियों से संबंधित विवरण:-*

राज्य सरकार चालू वर्ष के लिए वार्षिक आय-व्ययक प्रस्तुत करते समय प्रपत्र-V में धारा-7 में निर्दिष्ट विलम्बित देनदारियों के संबंध में एक विवरण प्रस्तुत करेगी ।

9 *आकस्मिक देनदारियों के लिए कार्य योजना:-*

राज्य सरकार राजस्व खाते से "Sinking Fund" तथा बीमा एवं पेंशन निधि में भविष्य की ऋण की अदायगियों एवं पेंशनादि के मद में बढ़ते व्यय दायित्वों को पूरा करने के लिए कुछ राशि अंतरित करेगी । इस प्रकार की अंतरित राशि का लेखा-जोखा राज्य के संचित निधि एवं लोक लेखा से अलग रखा जायेगा ताकि Sinking Fund तथा बीमा एवं पेंशन निधि की राशि का उपयोग ऋण की अदायगियों एवं पेंशनादि के मदे भविष्य की बड़ी आकस्मिक देनदारियों को पूरा करने हेतु किया जा सके ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

28/8/07

(निरंजन कुमार)

अपर वित्त आयुक्त

ज्ञापांक- वित्त-7-आयोजन (3)-9/2001(खंड-II)/*2476/वि०*, राँची, दिनांक ***28.08.2007***

प्रतिलिपि - महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

28/8/07

(निरंजन कुमार)

अपर वित्त आयुक्त

ज्ञापांक- वित्त-7-आयोजन (3)-9/2001(खंड-II)/2476/वि०, राँची, दिनांक 28.08.2007

प्रतिलिपि - सरकार के सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव / जनसूचना कोषांग, वित्त विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/8/07

(निरंजन कुमार)

अपर वित्त आयुक्त

ज्ञापांक- वित्त-7-आयोजन (3)-9/2001(खंड-II)/2476/वि०, राँची, दिनांक 28.08.2007

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि राजपत्र की 100 (एक सौ) प्रतियाँ वित्त विभाग, प्रशाखा - 7 को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

28/8/07

(निरंजन कुमार)

अपर वित्त आयुक्त

प्रपत्र-I

(नियम-4(1) द्रष्टव्य)

राजकोषीय नीति की रणनीति की विवरणी

क. *राजकोषीय नीति की पूर्णदृष्टि (Overview) : (यह कंडिका वर्त्तमान राजकोषीय नीति के संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करेगी ।)*

ख. *आगामी वित्तीय वर्ष की राजकोषीय नीति : इस कंडिका में चार उप कंडिका होंगी जो निम्नलिखित से संबंधित होंगी ।*

(1) कर नीति

इस उप कंडिका में आगामी वित्तीय वर्ष में, कर नीति से संबंधित राज्य कर के अंतर्गत प्रस्तावित मुख्य परिवर्त्तन जो लागू किये जाने है, के संबंध में सूचना प्रेषित किया जाना है ।

(2) व्यय नीति

व्यय नीति के अंतर्गत वर्गवार व्यय के लिए उपबंध में मुख्य परिवर्त्तन को स्पष्ट करना होगा । इनमें पूर्वानुमान के सिद्धान्त के आधार पर लाभ तथा लाभान्वित समूहों के लक्ष्य के विषय को भी सम्मिलित किया जाना है ।

(3) सरकार के उधार, ऋण एवं निवेश

इस उप कंडिका में सरकारी ऋण, राज्य सरकार के आंतरिक ऋण के संबंध में नीति, राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण, निवेश तथा अन्य गतिविधियों से संबंधित नीति को सूचित किया जाना है ।

(4) आकस्मिक तथा अन्य दायित्व

आकस्मिक तथा अन्य दायित्वों में कोई नीति परिवर्तन, विशेषकर गारन्टी जिसका बजट पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, उसे अंकित किया जायेगा ।

ग. *आगामी वर्ष के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएँ*

1. आगामी वित्तीय वर्ष में संसाधन संग्रहण का प्राक्कलन
2. आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय प्रबंधन के संबंध में मुख्य सिद्धान्त

3. आगामी वित्तीय वर्ष में लोक ऋण प्रबंधन के संबंध में प्राथमिकताएँ

घ. नीति परिवर्त्तन का तर्काधार

1. आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य करों में नीति परिवर्त्तन का तर्काधार मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार है उसे अंकित करना होगा ।
2. बजट के माध्यम से व्यय, अनुदान सहित, में मुख्य नीति परिवर्तन का तर्काधार को अंकित करना होगा ।
3. लोक ऋण प्रबंधन में प्रस्तावित परिवर्तन, यदि कोई हों, का तर्काधार को अंकित करना होगा।

ङ०. आगामी वर्ष के लिए लक्ष्य

(वित्तीय वर्ष के दूसरी तिमाही के अंत में मध्यावधि समीक्षा किया जाना है ताकि बजट प्राक्कलन में दर्शाये गये घाटे में कमी का लक्ष्य, प्राप्ति एवं व्यय के अनुपात में हो रहा है । यदि कुल गैर ऋण प्राप्ति उस वर्ष के बजट प्राक्कलन के 40 प्रतिशत से कम हो, राजकोषीय घाटा बजट प्राक्कलन के 45 प्रतिशत से अधिक हो तथा राजस्व घाटा बजट प्राक्कलन के 45 प्रतिशत से अधिक हो तो राज्य सरकार, धारा 7 के उप धारा 2 एवं 3 के अनुसार कार्यवाही करेगी ।)

च. नीति का मूल्यांकन

(इस कंडिका में आगामी वित्त वर्ष के प्रस्तावित राजकोषीय नीति के परिवर्त्तन के मूल्यांकन राजकोषीय घाटा तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी विषयक लक्ष्य के संबंध में चर्चा किया जायेगा)

प्रपत्र एफ-II

(नियम-4(2) द्रष्टव्य)

मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण

क. राजकोषीय संकेतक-अधिसीमा निर्धारण

राजकोषीय संकेतक	*वर्तमान वर्ष पुनरीक्षित प्राक्कलन*	*आगामी वर्ष का लक्ष्य; बजट प्राक्कलन*	*आगामी दो वर्षों का लक्ष्य*	
			वर्ष + 1	*वर्ष+ 2*
1. सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा				
2. सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटा				
3. सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत के अनुसार कर राजस्व				
4. सकल घरेलू उत्पाद का कुल सीमित उत्तरदायित्व				

ख. राजकोषीय संकेतक के पूर्वानुमान

1. *राजस्व प्राप्ति*

क. क्षेत्रवार कर राजस्व एवं सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर

ख. करेतर राजस्व-नीति निर्धारण

ग. राज्य वित्त आयोग को न्यागमन अवमूल्यन

2. *पूँजीगत प्राप्तियाँ-ऋण का अवशेष, भुगतान, नई ऋण तथा नीति निर्धारण*

क. ऋण की वापसी

ख. अन्य प्राप्तियाँ

ग. ऋण-लोक ऋण तथा अन्य दायित्व

3. *कुल व्यय नीति निर्धारण*

(क) राजस्व लेखा

(i) ब्याज की अदायगियाँ

(ii) मुख्य अनुदान

(iii) अन्य

(ख) पूँजीगत लेखा

(i) ऋण एवं अग्रिम

(ii) पूँजीगत व्यय

4. *सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि*

ग. स्थिरता का निर्धारण के संबंध में-

(i) राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व व्यय के बीच समन्वय :- मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी में वर्त्तमान वर्ष तथा अगले दो वर्ष में कर-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात साथ ही उक्त अनुमान को प्राप्त करने के लिए पूर्वानुमान में किस प्रकार की परिवर्त्तन की आवश्यकता है का वर्णन होगा । यह करेतर राजस्व प्राप्ति तथा इसके नीति निर्धारण के संबंध में भी समीक्षात्मक विवरणी प्रस्तुत करेंगे । पूँजीगत प्राप्ति के साथ ऋण तथा अन्य दायित्व का नीति निर्धारण किया जाना है । सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान के संबंध में विभिन्न संकेतक का भी वर्णन किया जाना है । राजस्व व्यय का लेखा में, योजना तथा गैर योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित उपायों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

(ii) उत्पादित आस्ति के उत्पादन हेतु पूँजीगत प्राप्ति बाजार ऋण समेत संसाधन का उपयोग :- मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी में यह अंकित करना है कि पूँजीगत प्राप्ति के उपयोग से विभिन्न प्रकार के उत्पादित आस्ति किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है । यह भी स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि विभिन्न कोटि में किस प्रकार के परिवर्त्तन की आवश्यकता है तथा सरकार की सम्पूर्ण नीति के अनुसार समीक्षा किया जाना है ।

प्रपत्र-III

(नियम-6 द्रष्टव्य)

(प्रकटीकरण विवरण)

(Disclosure Statement)

प्रपत्र-IV

(नियम-7 द्रष्टव्य)

कर्मियों की संख्या एवं उनके वेतनादि से संबंधित विशेष विवरण-

प्रपत्र-I/II/III

सरकारी सेवकों/ अनुदानित शैक्षणिक संस्थानों/ लोक उपक्रमों के लिए

31 मार्च 2007/ 2008/2009 के अनुसार गैर योजना/ योजना

मांग संख्या.....

मुख्य शीर्ष/ वेतनमान	कर्मियों की संख्या		व्यय (लाख रुपये में)			
	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	विशेष वेतन सहित वेतन	महंगाई भत्ता	भत्ते(म.भा. भत्ते, आर. सी.एम., ओ.ए.)	कुल
मुख्य शीर्ष सं0						
वेतनमान						

टिप्पणी-समेकित वेतन पर कार्यरत कर्मियों के संदर्भ में प्रत्येक कर्मियों को देय समेकित वेतन की राशि दर्शाते हुए अलग से सूचना दी जायेगी ।

प्रपत्र-V

(नियम-8 द्रष्टव्य)

विलम्बित देनदारियों की विवरणी

Government of Jharkhand
Finance Department

Notification

28 th August 2007

अधिसूचना संख्या- वित्त-7-आयोजन (3)-9/2001 खण्ड-II-2476/वि0, दिनांक 28.08.2007

In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2007, (Jharkhand Act 07 of 2007) the State Government do hereby make the following rules, namely:-

1. Short Title and Commencement:-

(1) These rules may be called the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Jharkhand Gazette.

2. Definitions:-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2007;

(b) "Budget at a glance" means the Budget at a glance containing consolidated information on state's receipt and expenditure and other related information as placed before the Legislature along with the Budget;

(c) "Form" means a Form appended to these rules;

(d) "GSDP" means the Gross State Domestic Product at Current Prices;

(e) "Mandated Revenue" means the sum total of state's share in central taxes and the non plan revenue deficit grant received from Government of India; and

(f) "section" means a section of the Act.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

3. Fiscal Indicator :-

The fiscal indicators to be prescribed for the purposes of the Act shall be as follows:-

(a) revenue deficit as a percentage of Gross State Domestic Product;

(b) fiscal deficit as a percentage of Gross State Domestic Product;

(c) primary deficit / surplus as a percentage of Gross State Domestic Product; and

(d) total debt stock as a percentage of Gross State Domestic Product.

4.Medium Term Fiscal Plan and Fiscal Policy Strategy:-

(1) The strategic priorities of the state government in the fiscal areas shall be prescribed in Form I.

(2) The Medium Term Fiscal Plan shall be prepared by the State Government in Form II.

5. Statement showing steps taken for restructuring of State Finances as recommended by the latest Finance Commission:-

The State Government shall, while presenting the Fiscal Policy Strategy, include therein details of the steps taken from restructuring the State Finances as recommended by the latest Finance Commission.

6. Disclosure in a statement:-

The State Government shall, at the time of presentation of the Annual Budget, make disclosure in a statement in Form III indicating any significant changes in the accounting standards, policies and practices affecting or likely to affect the computation of prescribed fiscal indicators.

7. Special Statements relating to employees:-

The State Government shall, at the time of presentation of Annual Budget, furnish a statement in Form IV giving in detail the number of employees and related salaries as a specified in sub-section (10) of section 6.

8. Statement showing deferred liabilities:-

The State Government shall, while presenting the Annual Budget for the current year, furnish a statement in From V showing the deferred liabilities as specified in section 7.

9. Action Plan for Contingent liabilities:-

The state government shall transfer a certain amount from revenue account to a "Sinking Fund", and the Insurance and Pension Fund to meet huge future repayment of borrowings and rising expenditure liabilities on account of pension etc. The fund so transferred shall be maintained outside the Consolidated Fund of the State and Public Account so that the corpus of the Sinking Fund and the Insurance and Pension Fund can be utilized to meet the future contingent liabilities on account of huge repayment of loans, rising expenditure on pension.

By order of the Governor of Jharkhand

28/8/07
(Niranjan Kumar)
Additional Finance Commissioner
Finance Department,
Jharkhand, Ranchi.

Memo No-वित्त-7-आयोजन (3)-9/2001 खण्ड-II-2476/वि0, Dated:-28.08.2007

Copy forwarded to:- The Accountant General (A&E), Jharkhand, Ranchi for information.

28/8/07
(Niranjan Kumar)
Additional Finance Commissioner
Finance Department,
Jharkhand, Ranchi.

Memo No-वित्त-7-आयोजन (3)-9/2001 खण्ड-II-2476/वि0, Dated:-28.08.2007

Copy forwarded to:- The All Department of Government/ All Heads of Departments, Principal Secretary to Hon'ble Governor, Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Private Secretary to the Hon'ble Finance Minister, Public Information Cell, Finance Department for information and necessary action.

28/8/07
(Niranjan Kumar)
Additional Finance Commissioner
Finance Department,
Jharkhand, Ranchi.

Memo No-वित्त-7-आयोजन (3)-9/2001 खण्ड-II-2476/वि0, Dated:-28.08.2007

Copy forwarded to the Superintendent, Government Press, Jharkhand, Ranchi for publication in the Extraordinary Gazette of Jharkhand,.

2. Please make available 100 (One hundred) copies of Gazette to Section-7 of Finance Department, Jharkhand, Ranchi.

28/8/07

(Niranjan Kumar)
Additional Finance Commissioner
Finance Department,
Jharkhand, Ranchi.

Form F-I

[See rule-4 (1)]

FISCAL POLICY STRATEGY STATEMENT

A: Fiscal Policy Overview: (This paragraph will present an overview of the fiscal policy currently in vogue.)

B: Fiscal policy for the ensuing financial year: (This paragraph shall have four sub-paragraphs dealing with-

(1) Tax Policy

In the sub-paragraph on tax policy, major changes proposed to be introduced in State taxes in the ensuing financial year will be presented.

(2) Expenditure Policy

Under expenditure policy, major changes proposed in the allocation for expenditure shall be indicated. It shall also contain an assessment of principles regarding the benefits and target group of beneficiaries.

(3) Government Borrowings, Lending and Investments

In this sub-paragraph on government borrowings, the policy relating to internal debt, government lending, investments and other activities shall be indicated.

(4) Contingent and other Liabilities

Any change in the policy on contingent and other liabilities and in particular guarantees, which have potential budgetary implications, shall be indicated.

C: Strategic priorities for the ensuing year:-

[(1) Resource mobilization for the ensuring financial year shall be spelt out.

(2) The broad principles underlying the expenditure management during the ensuing year shall be spelt out.

(3) Priorities relating to management of public debt proposed during the ensuing year shall be indicated.]

D: Rationale for Policy changes:

[(1) The rationale for policy changes consistent with the Medium Term Fiscal Policy Statement, in respect of State taxes proposed in the ensuing Budget shall be spelt out.

(2) The rationale for major policy changes in respect of budgeted expenditure including expenditure on subsidies shall be indicated.

(3) Rationale for changes, if any, proposed in the management of the public debt shall be indicated.]

E: Targets for the ensuing year

[At the end of the second quarter, a mid-year assessment shall be made of the trends in receipts and expenditures and achievement of targets of deficit reduction in relation to Budget Estimates. In case the total non-debt receipts are less than 40 per cent of Budget Estimates for that year or the fiscal deficit is higher than 45 per cent of the Budget Estimates for that year or the revenue deficit is higher than 45 per cent of the Budget Estimates for that year, the State Government shall take action as required under sub-sections (2) and (3) of section 7.]

F. Policy Evaluation:

[The paragraph shall contain an evaluation of the changes proposed in the fiscal policy for the ensuing year with reference to fiscal deficit reduction and objectives set out in the Medium Term Fiscal Policy Statement.]

Form F-II

[See rule-4 (2)]

MEDIUM TERM FISCAL POLICY STATEMENT

A. Fiscal Indicators-Rolling Targets

Fiscal Indicators	Current Year Revised Estimates	Ensuing year Target; Budget Estimates	Targets for next Two years	
			Y + 1	Y + 2
1.Revenue Deficit as percentage of GDP				
2. Fiscal Deficit as percentage of GDP				
3. Tax Revenue as percentage of GDP				
4. Total outstanding Liabilities as percentage of GDP				

B. Assumptions underlying the Fiscal Indicators.

1. Revenue receipts

(a) Tax-revenue-Sectoral and GDP growth rates

(b) Non-tax-revenue- Policy stance

(c) Devolution to States-Finance Commission

2. Capital receipts-Debt stock, repayment, fresh loans and policy stance

(a) Recovery of loans

(b) Other receipts

(c) Borrowings-Public Debt and Other Liabilities

3. Total expenditure-Policy Stance

(a) Revenue account

(i) Interest payments

(ii) Major subsidies

(iii) Others

(b) Capital account

(i) Loans and advances

(ii) Capital outlay

4. GDP Growth

C. Assessment of sustainability relating to-

(i) The balance between revenue receipts and revenue expenditure: The Medium Term Fiscal Policy Statement may specify the tax-GDP ratio for the current year and subsequent two years with an assessment of the changes required for achieving it. It may discuss the non-tax revenues and the policies concerning the same. An assessment of the capital receipts maybe made including the borrowings and other liabilities, as per policies spelt out. The statement may also give projections for GDP and discuss it on the basis of assumptions underlying the indicators. Expenditure on revenue account, both Plan and Non-Plan, may also be made with particular emphasis on the measures proposed to meet the overall objectives.

(ii) . The use of capital receipts including market borrowings for generating productive assets: The Medium Term Policy Statement may specify the proposed use of capital receipts for generating productive assets in different categories. It may also spell out proposed changes among these categories and discuss it in terms of the overall policy of the Government.

(b) Capital account

(i) Loans and advances

(ii) Capital outlay

4. GDP Growth

C. Assessment of sustainability relating to-

(i) The balance between revenue receipts and revenue expenditure: The Medium Term Fiscal Policy Statement may specify the tax-GDP ratio for the current year and subsequent two years with an assessment of the changes required for achieving it. It may discuss the non-tax revenues and the policies concerning the same. An assessment of the capital receipts maybe made including the borrowings and other liabilities, as per policies spelt out. The statement may also give projections for GDP and discuss it on the basis of assumptions underlying the indicators. Expenditure on revenue account, both Plan and Non-Plan, may also be made with particular emphasis on the measures proposed to meet the overall objectives.

(ii) . The use of capital receipts including market borrowings for generating productive assets: The Medium Term Policy Statement may specify the proposed use of capital receipts for generating productive assets in different categories. It may also spell out proposed changes among these categories and discuss it in terms of the overall policy of the Government.

FORM III
[See rule 6]

DISCLOSURE STATEMENT

FORM IV
[See rule 7]

SPECIAL STATEMENT ON NUMBER OF EMPLOYEES AND RELATED SALARIES

PROFORMA – I / II / III
(FOR GOVERNMENT EMPLOYEES / AIDED EDUCATION INSTITUTIONS / PSUs

NON PLAN / PLAN

AS ON 31ST MARCH 2007/2008/2009

DEMAND NO:-

	EMPLOYEES (IN NUMBER)		EXPENDITURE (RUPEES IN LAKH)			
Major Head/ Scales of Pay	Sanctioned Strength	Men in Position	Pay including Special Pay	D.A.	Allowances (HRA, RCM, OA)	Total
Major Head wise:-						
SCALES OF PAY						

Note: *Information relating to employees on Consolidated Pay shall be shown separately indicating the amount of consolidated pay against each employee.*

FORM V
[See rule 8]

STATEMENT OF DEFERRED LIABILITIES